भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पातल, नई दिल्ली में "**ऑपरेशन थिएटर सहायक**" के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना.

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी क`दिनांक 13.10.2015 क`का.ज्ञा. सं. एबी.14017/61/2008- स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पातल, "**ऑपरेशन थिएटर सहायक**" पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसोदे पर कोई भी आपत्तिधारक, यदि वे चाहे तो, टिप्पणियाँ अथवा सुझाव, भर्ती नियमो के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.–II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ई- मेल कर सकते हैं।

अभिषेक पाण्डेय

(अभिषेक पाण्डेय)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष -23061203

(अभिषेक पांडेय)
(ABHISHEK PANDEY)
अवर सचिव/Under Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

नई दिल्ली

दिनांक :

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख: 2025

सा.का.नि. . . . -राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, 2016 को, जहाँ तक उनका संबंध ऑपरेशन थियेटर सहायक के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में ऑपरेशन थियेटर सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**:(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, ऑपरेशन थियेटर सहायक, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि**- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

<u>अनुसूची</u>

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ऑपरेशन थियेटर सहायक	*52(2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2(19900-63200 रुपये)।	अचयन।	18-27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके पैंतालीस वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु-	विज्ञान में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के साथ 10+2 उत्तीर्ण और शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद, न्यूनतम 50 बिस्तरों वाले मान्यता प्राप्त अस्पताल से एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण: अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर

					सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख़ भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख़ होगी, (और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिला का पांगी उपखंड और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लद्दाख एवं लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।) टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के	सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

					मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया है।	

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति संरचना
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
आयु-नहीं अर्हताः हाँ, अनुभव के सिवाय।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पणः परिवीक्षा को सफलतापूर्वक	i. 30 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; ii. 70 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वेतन मैट्रिक्स के लेवल -1 (18000-56900 रुपये) में ऑपरेशन थियेटर परिचर या थियेटर ऑरडरली और अन्य ग्रुप-सी अधिकारी	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समि पुष्टि पर विचार करने 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लोहिया अस्पताल 2. संबंधित विभागाध्यक्ष, ड लोहिया अस्पताल - सदस् 3. उप निदेशक जो महानिदेशालय में डॉ. राम

	पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा।		जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्षों की नियमित सेवा के साथ किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल या संस्थान से ऑपरेशन थिएटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से पदोन्नति। टिप्पण: जहां अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ व्यक्तियों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा, आवश्यक अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।	अस्पताल का कार्य देखते हैं 4. उप निदेशक प्रशासन, डॉ. लोहिया अस्पताल - सदस्य

[ए.11018/01/2024-एमएच II]

अभिषेक पाण्डेय

(अभिषेक पांडेय)

अवर सचिव, भारत सरकार